

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मनेन्द्र कुमार

बनाम

तुलतम झाडी

दावा बाबत :- 88 R+ Act

मुकदमा नम्बर :- 74/23

निर्णय दिनांक :- 29.05.2023

वादी की ओर से वकील श्री रातेश खनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1 ना 7 की ओर से वकील श्री सार्पुन खनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.05.2023 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री मीना मालकम के टाग सं० 98/67 के टवसरा सं० 113/1, 335, 337/1, 360/1 की कुल 16.6300 हे० बरानी कृषि भूमि में उद्दिगी सं० 1 तुलतम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा खालेदारी दर्ज है उक्त वाद भूमि में उद्दिगी सं० 1 तुलतम का नाम कलमजन किए जाकर बाडी नरेन्द्र कुमार, उद्दिगी सं० 2 दलीप उरी, उद्दिगी सं० 3 सुरेश चन्द्र उरी, उद्दिगी सं० 4 राजेन्द्र को बहिष्ता कराकर के खालेदार काशरकर घोषित किए जाते हैं। चूंकि उद्दिगी सं० 1, 5 ना 7 में आपना एक हिस्सा बाडी एव उद्दिगी सं० 2 ना 4 में पत्र में टाग कर खून्य कर लिया है। बरानीनाम को डिडी का भाग पदा जावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। यह पर्या डिक्री आज दिनांक 29.5.23 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर  
शिवर प्रभासि  
(फास्ट ट्रैक) न्यायप्रणालीगाव  
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़